



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-1200-औसं-17/पाकालि/2021-11(1)ए०एस०/09(20)

दिनांक: 23 अप्रैल, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 31.12.2020 से अग्रेतर दिनांक 30.04.2021 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1640-औसं०/17/पाकालि/2020-11(1)ए०एस०/09(20) दिनांक 29.06.2020 की सूची-2 के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक: 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन दिनांक 30.04.2021 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1	चन्द्रा मंदर एण्ड आई केयर प्रा०लि०, 4/43 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	30.04.2021
2	विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राम कृष्ण मिशन सेवाश्रम विवेकानन्दपुरम्, लखनऊ।	30.04.2021
3	के०के० हॉस्पिटल, 87/88 नवीउल्ला रोड, रिवर बैंक कालोनी लखनऊ।	30.04.2021
4	वेलन्टीस कैंसर हॉस्पिटल, मसूरी, मवाना रोड, मेरठ, (उ०प्र०)।	30.04.2021
5	मृत्युञ्जय हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशियलिटी एण्ड ट्रामा सेण्टर, 143, कॉलेज रोड, छिप्पी टैंक बेगम ब्रिज रोड, नियर लॉयल बुक डिपो, मेरठ।	30.04.2021
6	नेयो हॉस्पिटल, डी-170-ए, सेक्टर-50, नोयडा।	30.04.2021
7	फैलिक्स हॉस्पिटल, एन०एच०-1, सेक्टर-137, नोयडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर।	30.04.2021
8	शकुन्तला हॉस्पिटल, 3-बी, ताशकन्द मार्ग, इलाहाबाद।	30.04.2021
9	हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका, वाराणसी।	30.04.2021
10	अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबारी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या, फैजाबाद।	30.04.2021
11	आर्यन हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, लोअर बाजार, दिल्ली-मेरठ रोड, एन०एच०-58, मोदीनगर।	30.04.2021
12	वरुण ट्रामा व बर्न सेण्टर प्रा०लि०, रामघाट रोड, अलीगढ़।	30.04.2021

Nal

क्रमशः 2/-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनके द्वारा प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-1200-(1) औसं-17/पाकालि/2021-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यंचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
14. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
16. अधिकासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical/E-Book पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
17. कट फाइल।

Nat Mathur
23.4.21

(नवनीत माथुर)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी